

पत्रांक / ५।४९/आयु०कर उत्तरां/वाणिज्य/विधि—अनुभाग/पत्रा० ०५ / १४—१५/देहरादून।

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड

(विधि—अनुभाग)

दिनांक: देहरादून २ दिसम्बर 2014

समस्त डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर,  
समस्त असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर,  
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग—८ द्वारा जारी अधिसूचना संख्या ९२४/२०१४/१५(१२०) / xxvii(८) / २०१४ / दिनांक देहरादून १२ दिसम्बर २०१४ का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, २००५ की अनुसूची ॥(ख) में संशोधन करते हुये अवगत कराया गया है।

उपरोक्त अधिसूचना की छायाप्रति आपको इस आशय से प्रेषित है कि शासन द्वारा दिये गये दिशा—निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करना/करवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न—उपरोक्तानुसार।

(पीयूष कुमार)


एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,  
मुख्यालय, उत्तराखण्ड।

पृष्ठा० ५।४९ / दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- १— सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- २— महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस, इन्द्रानगर, देहरादून।
- ३— अध्यक्ष/सदस्य वाणिज्य कर अभिकरण, देहरादून/हल्द्वानी।
- ४— एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर गढ़वाल जोन देहरादून/कुमाऊं जोन रुद्रपुर।
- ५— एडिशनल कमिश्नर (आडिट/प्रवर्तन) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून।
- ६— ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यो) वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ समस्त कर—निर्धारण अधिकारियों/बार एसोसियेशन के पदाधिकारियों/ब्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- ७— ज्वाइन्ट कमिश्नर(अपील) वाणिज्य कर, देहरादून/हल्द्वानी।
- ८— ज्वाइन्ट कमिश्नर(विवारण/प्रवर्तन) वाणिज्य कर, /हरिद्वार/रुद्रपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

- 9— श्री शहाब अली, डिप्टी कमिशनर(विधि) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून एवं Web-Information Officer को विमागीय Website पर Update करने हेतु।
- 10— निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड रुड़की को आगामी राजकीय गजट में प्रकाशनार्थ।
- 11— आईटी०—अनुभाग मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि उक्त अधिसूचना स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों/अधिवक्ताओं को E-mail द्वारा प्रेषित कर दें।
- 12—Intavatt Info. Pvt. 4 फेयरी मैनर 11nd Floor 13— आर० सिंधुआ मार्ग मुम्बई—400001 महाराष्ट्र।
- 13—National Law House बी—2 मॉडर्न प्लाजा बिल्डिंग अम्बेडकर रोड, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।
- 14—National Law and Management House 15/5 राजनगर, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।
- 15—Swastik Publication एस०ई—233, शास्त्री नगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।
- 16—Law Book Traders 10—नगर निगम कम्पाउण्ड केसरगन्ज रोड मेरठ उ० प्र०।
- 17—डिप्टी कमिशनर(उच्च न्या० कार्य०) वाणिज्य कर, नैनीताल।
- 18—अध्यक्ष इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखण्ड सर्वश्री सत्या इण्डस्ट्रीज, माहब्बेवाला औद्योगिक क्षेत्र देहरादून।
- 19—प्रान्तीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल कार्यालय सर्वश्री क्वालिटी हार्डवेयर गांधी रोड देहरादून।
- 20—दून उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल सर्वश्री नागलिया ऑटोमोबाईल त्यागी रोड देहरादून।
- 21— प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उद्योग व्यापार मण्डल समिति, उत्तराखण्ड, सर्वश्री दीवान ट्रेडिंग कम्पनी
- 21— मोती बाजार देहरादून।
- 22—The whole sale dealers Association 14— आढ़त बाजार देहरादून।
- 23— प्रान्तीय इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन 222/5 गांधी ग्राम देहरादून।
- 24— कार्यालय अधीक्षक/विधि—अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।
- 25— समस्त अनुभाग अधिकारी मुख्यालय।



एडिशनल कमिशनर, वाणिज्य कर,  
मुख्यालय, उत्तराखण्ड।

उत्तराखण्ड शासन  
वित्त अनुभाग—८  
सं० /2014/ १५(१२०)/ XXVII(८)/ २०१५  
देहरादूनः दिनांकः १२ दिसम्बर २०१४

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं० 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4) सप्तित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं० १ वर्ष 1904)(उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची—॥(ख) में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

संशोधन

अनुसूची—॥(ख) के क्रमांक ७४ पर विद्यमान प्रविष्टि हटा दी जायेगी।

(भास्करानन्द)  
सचिव।

सं० १२५/ २०१४/ १५(१२०)/ XXVII(८)/ २०१५ तददिनांक।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1—आयुक्त, कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने रत्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।
- 2—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुडकी जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियों इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100—100 प्रतियों वित्त अनुभाग—८ में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
- 3—भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
- 4—सलाहकार 'कर', उत्तराखण्ड शासन।
- 5—एनोआईसी०
- 6—गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,  
*Subhash*  
(भास्करानन्द)  
सचिव।

.....  
अनुभाग  
आवश्यक कार्यवाही करें

अम. अ. कर  
उत्तराखण्ड देहरादून

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 924/ 2014/ 15(120)/ XXVII(8)/ 2014 dated 12 December, 2014 for general information.

**Government of Uttarakhand**  
**Finance Section-8**  
**No. 924/ 2014/ 15(120) / XXVII(8)/ 2014**  
**Dehradun :: Dated: 12 December, 2014**

**Notification**

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act no. 27 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to allow with effect from the date of publication of this notification in Gazette, the following amendment in Schedule-II(b) of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005-

**Amendment**

In Schedule-II(b), the existing entry at serial no. 94, shall be deleted.

  
(Bhaskaranānd)  
Secretary.